संशोधन

संख्या- 190 /2025/ 1152 /चार-2025-1795727

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2025**

विषय:- जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में स्थित स्व0 श्री दुष्यंत कुमार के पैतृक निवास को पुस्तकालय एवं ऑडिटोरियम से युक्त संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-177 /2025/780/चार-2025-1795727 दिनांक 29 मार्च, 2025 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या-177 /2025/780/चार-2025-1795727 दिनांक 29 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में शासनादेश संख्या- 177 /2025/780/चार-2025-1795727 दिनांक 29 मार्च, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 177 /2025/780/चार-2025-1795727 दिनांक 29 मार्च, 2025 के प्रस्तर-4 (27) में अंकित' **कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ**' के स्थान पर '**कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0**' पढ़ा जाए।

3. उक्त शासनादेश संख्या-177 /2025/780/चार-2025-1795727 दिनांक 29 मार्च, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 190 /2025 / 1152 (1)/चार-2025-1795727 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बिजनौर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 21, मुरादाबाद।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in